सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः— श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण संख्या : 18/2016

वादगणः—

1. रमेशचन्द्र पुत्र चतुर्भुज जाति मीणा निवासी
2. पूरणमल पुत्र चतुर्भुज जाति मीणा
3. मन्नालाल पुत्र चतुर्भुज जाति मीणा
4. सुखबीर पुत्र चतुर्भुज जाति मीणा निवासीगण बालापुरा तहसील मांगरोल जिला बारां

...वादीगण

♠ बनाम ♠

01. महावीर पुत्र रामकिशन जाति मीणा निवासी जहांगीरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा
02. चौथमल पुत्र रामकिशन जाति मीणा (मृतक)
    2/1 अयोध्या बाई बेवा चौथमल जाति मीणा निवासी बालापुरा तह0 मांगरोल
    2/2 प्रधुम्न पुत्र चौथमल जाति मीणा नाबा0 जर्ये वली चाचा महावीर पुत्र रामकिशन
    2/3 देशराज पुत्र चौथमल जाति मीणा नाब0 जर्ये वली चाचा महावीर पुत्र रामकिशन
03. प्रेम बाई पुत्री रामकिशन पत्नी लटूरलाल जाति मीणा निवासी नौनेरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
04. धन्नी बाई पुत्री रामकिशन जाति मीणा निवासी तिसाया तहसील मांगरोल
05. रामप्यारी पुत्री रामकिशन पत्नी सीताराम (मृतक)
    5/1 श्याम पुत्र सीताराम जाति मीणा
    5/2 सुरेश पुत्र सीताराम जाति मीणा
    5/3 राकेश पुत्र सीताराम जाति मीणा
    5/4 कमल पुत्र सीताराम जाति मीणा निवासी गणेशगंज तह0 पीपल्दा जिला कोटा
06. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92ए, 188 आर0टी0एक्ट0

वकील वादीगण : श्री रामस्वरूप नागर, ओमप्रकाश मेहता

वकील प्रतिवादीगण : श्री मनोज कुमार गालव

निर्णय दिनांक : 15.02.2019

[illegible] दिनांक 02.03.2016

वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88,89,90,92ए,188 आर टी एक्ट पेश कर कथन किया कि ग्राम [illegible] कि आराजी जमाबन्दी संवत् 2069–72 खाता संख्या नया 44 पुराना 45 की आराजी खसरा नं0 184 रकबा 0.62 है0, खसरा नं0 191 रकबा 1.21 है0, 203/557 रकबा 2.00 है0, खसरा नं0 251 रकबा 0.19 है0, कुल किता 4 रकबा 4.02 है0 स्थिति है जिसमे से खसरा नं0 184 रकबा 0.62 है0 व खसरा नं0 191 रकबा 1.21 है0 को वाद पत्र में विवादित आराजीयात के नाम से संबोधित किया गया है। प्रतिवादी क्रम 4 धन्नी बाई द्वारा जिला सैशन एवं सत्र न्यायधीश बांरा व न्यांयलय अपर जिला जज (फास्ट ट्रेक नं03) बांरा में हुआ राजीनामा दिनांक 01.09.2003 की पालना में अपने हिस्से की आराजी का विक्रय पत्र वादीगण के पक्ष में पंजियन कराया जा चुका है। किन्तु प्रतिवादी क्रम 1,2,3,4,5 द्वारा राजीनामा के मुताबिक अपने हिस्से का विक्रय पत्र पंजीयन कराना था किन्तु उनके द्वारा रामकिशन का देहान्त हो चुका है जिसके वैधानिक वारिसान एवं कायम मुकामान 2/1 लगायत 2/3 है इनके अलावा मृतक चौथमल के अन्य कोई वारिसान नही है जिन्हे वादपत्र में पक्षकार बनाया गया है इसी प्रकार प्रतिवादी क्रम 5 श्रीमति रामप्यारी बाई का भी देहान्त हो चुका है जिसके वैधानिक वारिसान एवं कायम मुकामान 5/1 लगायत 5/4 है इनके अतिरिक्त मृतक रामप्यारी बाई के अन्य कोई वैधानिक वारिसान नही है जिन्हे वादपत्र में पक्षकार बनाया गया है। उक्त आराजी वादीगण द्वारा जर्ये इकरार नामा क्रय की गई थी जिसका विक्रय पत्र लिखा जा चुका था जो दिनांक 16.11.2002 को विक्रय पत्र लिखाया जाकर प्रतिवादीगण चौथमल, महावीर के हस्ताक्षर व गवाहान के हस्ताक्षर किये जा चुके थे तथा नटीबाई, रामप्यारी, धन्नी व प्रेम के भी अंगूठा निशानी किये जा चुके थे किन्तु पंजीयन अधिकारी बाहर जाने के कारण समय पर पंजीयन नही हो सका था जिसे आधार पर वादीगण द्वारा एक वाद संविदा की विशिष्ठ अनुपालना के लिए न्यायालय जिला जज महोदय बारां एवं प्रस्तुत किया जो स्थानान्तरण हो कर अपर जिला जज फास्ट्रेक न0 3 बारां के न्यायलय में दिनांक 01.09.2003 के वादी एवं प्रतिवादी के मध्य राजीनामा हुआ। रमेशचन्द के हक आराजी खसरा नं0 191 रकबा 1.21 है0 में से 0.29 है0 का विक्रय पत्र लिखवाया गया पूरणमल के हक खसरा नं0 191 रकबा 1.21 है0 में से 0.77 है0 का विक्रय पत्र लिखवाया गया इसी प्रकार सुखवीर के हक आराजी खसरा नं0 184 रकबा 0.62 है0 व खसरा नं0 191 रकबा 1.21 है0 मेसे 0.15 है0 कुल 0.77 है0 का विक्रय पत्र लिखवाया गया जिनका पंजीकरण आज दिनांक तक पंजीयन अधिकारी के यहां नही करवाया गया है। इस आधार पर भी वादीगण हक हकूक परिपक्व हो चुके है। प्रतिकुल कब्जा होने से भी अपने खातेदारी अधिकारो की घोषना करवाकर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में करा पा सकने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने के अधिकारी है प्रतिवादी क्रम 2 चौथमल का देहान्त हो चुका है। अतः

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस आशय डिक्री पारित कि जावे कि ग्राम बालापुरा आराजी खसरा नं0 194 रकबा 0.62 है0 एवं खसरा नं0 191 रकबा 1.21 है0 का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कि जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त की आराजीयात में किसी प्रकार कि मदालखात ना स्वंय उत्पन्न करें ना प्रतिनिधि से करावें।

इस आशय का वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर करके प्रतिवादीगण को तलब किया गया , प्रतिवादी क्रम 1, 2/2, 2/3 की ओर से श्री मनोज गालव नें वकालत नामा पेश किया प्रतिवादी कम 2/1 कि ओर से महिला बंदी सुधारगृह जयपुर से पत्र प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल है प्रतिवादी 3, 4, 5/1 ता 5/4 की तरफ से अण्डर टेकिंग श्री मनोज गालव अधिवक्ता नें दी लेकिन दिनांक 13.02.2019 तक 17 अवसर देने के उपरान्त भी न तो जवाब पेश किया ओर न वकालत नामा पेश किया गया अतः दिनांक 13.02.2019 को समस्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई जाती है ।

वकील वादीगण मौखिक साक्ष्य में पीडब्लयू 1 रमेशचन्द , पीडब्लयू 2 महावीर, पीडब्लयू 3 गिरधर, पीडब्लयू 4 सुखबीर और पीडब्लयू 5 पूरणमल साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये गये।

दस्वावेज साक्ष्य में प्रदर्श आदेशिक निर्णय न्यायलय एडीजे (फास्ट ट्रेक कम 3) बारां, प्रदर्श 2 राजीनामा तस्दीक न्यायालय एडीजे (फास्ट ट्रेक कम 3) बारां, प्रदर्श 3 निर्णय कि डिग्री प्रदर्श 4– जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 ग्राम बालापुरा प्रदर्श 5 – नोटिस धारा 80 सीपीसी , प्रदर्श 6,7,8 विकय पत्र की फोटो कोपी है।

वकील वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गये, समस्त प्रस्तुत दस्तावेजो को ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया

वकील वादीगण ने बहस में बताया कि प्रदर्श 6ता 8 दिनांक 16.11.2002 विकय पत्र के आधार पर वादीगण कम 1 ता 4 ने आराजी का कय प्रतिवादीगण से किया गया जैसा कि वादपत्र में लिखा हुआ है। समय पर उपपंजीयक महोदय मांगरोल नही होने पर पंजीयन नही हो सका तथा वादीगण के संविदा की विशिष्ठ अनुपालना वास्ते वाद माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय बारां के न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया , उक्त वाद जिला जज के न्यायालय से अंतरित होकर न्यायालय एडीजे (फास्ट ट्रेक कम 3) बारां के समक्ष प्रस्तुत हुआ ।

न्यायालय समक्ष दिनांक 01.09.2003 को वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हुआ। राजीनामा मे वादीगण को वकील देवकीनन्दन गालव व प्रतिवादीगण को महावीर जैन एडवोकेट ने शिनाखत किया। राजीनामा अनुसार प्रतिवादीगण इस बात पर सहमत थे कि प्रस्तुत शुदा विकय पत्रों को उप पंजीयक महोदय मांगरोल के पास भिजवाने पर, प्रतिवादीगण उनको वादीगण के पक्ष में प्रमाणित करा देगें।

राजीनामा प्रदर्श 2 के आधार पर न्यायालय ने दिनांक 01.09.2003 को प्रदर्श 1 निर्णय व प्रदर्श 3 डिक्री पारित कर दी।

आगे बहस बताया गया कि 01.09.2003 को निर्णय व डिक्री पारित होने के पश्चात भी प्रतिवादीगण तहसीलदार मांगरोल के समक्ष विकय पत्र को पंजीयन कराने नही पहुचें। वकील वादीगण ने बहस मे बताया कि वादीगण कय शुद्धा आराजी खसरा नं0 184 रकबा 0.62 है0 व खसरा नं0 191 रकबा 1.21 है0 वाके ग्राम बालापुरा तहसील मांगरोल पर लगातार सन 2003 से काबिज काश्त चले आ रहे है। कब्जा काश्त की पुष्टि गवाहान पीडब्ल्यू 1 ता पीडब्ल्यू 5 के बयानो से होती है।

आगे बहस में बताया कि कय शुद्धा आराजी आज तक प्रतिवादीगण के खाते दर्ज है जैसा कि प्रदर्श 4 जमाबन्दी से स्पष्ट है तथा बहस में जोर देकर कहा कि माननीय अपर जिला न्यायाधीश बारां (फास्ट ट्रेक कम 3) के निर्णय व डिक्री दिनांक 01.09.2003 के पश्चात भी कय शुद्धा आराजी वादीगण के खाते दर्ज नही हो रही है। जबकि वादीगण आराजी पर काबिज काश्त है तथा लगातार 16–17 वर्षो से काश्त कर रहे है।

न्यायालय के मत में वादीगण व विकेता प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से विकय शुद्धा आराजी के बाबत् राजीनामा प्रदर्श 2 किया है जिसके आधार पर न्यायालय ने निर्णय प्रदर्श 1 व डिक्री प्रदर्श 3 दिया है प्रतिवादीगण यह स्वीकार करते है कि विकय धन प्राप्त कर उन्होनें खसरा नं0 184 रकबा 0.62 है0 व खसरा नं0 191 रकबा 1.21 है0 आराजी को विकय करके कब्जा वादीगण को संभला दिया है । जैसाकि प्रदर्श 1,2 व 3 से स्पष्ट है। न्यायालय उपरोक्त विवेचन के आधार पर विकय शुद्धा आराजी पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाना न्याय संगत समझती है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण को खसरा नं. 184 रकबा 0.62 है0 व खसरा नं. 191 रकबा 1.21 है0 वाके ग्राम बालापुरा तहसील मांगरोल जिला बारां का खातेदार घोषित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड मे वादीगण के नाम आराजी खाते में दर्ज की जावें।

यह आदेश भी दिया जाता है कि वादीगण के खातेदारी मे दर्ज आराजी पर प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी न करें वादीगण को शांति पूर्वक तरीके से काश्त करने देवें। पर्चा डिक्री बनायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2019 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।